उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1266 /VII-1/2014/158–ख/2004
देहरादून : दिनांकः 01 अगस्त, 2014
सितम्बर

अधिसूचना

खनिजों के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने तथा राजस्व क्षति को रोकते हुए राज्य वृद्धि सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या 617/VII/05/158–ख/2004, दिनांक 14 मार्च, 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005 एवं अधिसूचना संख्या 3253/VII-II-11/158–ख/2004, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त नियमावली में किये गये प्रथम संशोधन, 2011 के नियम–9 में द्वितीय संशोधन किये जाने एवं नियम–11 में अतिरिक्त प्राविधान बिन्दु–11 (च) के रूप में निम्नवत् जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005 (द्वितीय संशोधन) :–

क0सं0	वर्तमान नियमावली	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम/प्राविधान
1.	नियम–9 जिलाधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जॉच, जो वह आवश्यक समझे, ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जॉच कराने के पश्चात् द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र–"आई" में अनुज्ञप्ति अनुदत् कर सकता है। ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र–"आई" में अनुज्ञप्ति अनुदत् कर सकता है।	नियम–9 राज्य सरकार इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जॉच, जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर भण्डारण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत् कर सकती है। जिलाधिकारी ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जॉच कराने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में प्रपत्र–"आई" में अनुज्ञप्ति अनुदत कर सकता है।
2		(नियम–11 में अतिरिक्त प्राविधान) नियम–11(च) सामान्यतः प्रदेश से बाहर स्थापित स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं

		पल्वराईजर तथा प्रदेश के बाहर खनिज भण्डारकर्ता स्वामियों को उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत खनिजों के भण्डारण की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि विशेष परिस्थितियों में भण्डारण की अनुमति दिया जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

2– उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 617/VII/05/158–ख/2004, दिनांक 14 मार्च, 2005 तथा अधिसूचना संख्या 3253/VII-II-11/158–ख/2004, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 (प्रथम संशोधन) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1266 (1)/VII-1/2014/158–ख/2004, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।